



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022021-225276
CG-DL-E-19022021-225276

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]
No. 59]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2021/माघ 30, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2021/MAGHA 30, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2021

फा. सं. 1(1)/2020-एसएसएस.—भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम की घोषणा करती है।

- स्कीम का शीर्षक:** इस स्कीम को जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम कहा जाएगा।
- कवरेज:** यह स्कीम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को कवर करेगी।
- स्कीम की शुरुआत और अवधि:** यह दिनांक 01.04.2021 से प्रभावी होगी तथा दिनांक 31.03.2037 तक लागू रहेगी।
- पंजीकरण के लिए आवेदन की अवधि:** पंजीकरण दिनांक 01.04.2021 से शुरू होगा तथा दिनांक 30.09.2024 तक जारी रहेगी, जो इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अध्येधीन है। तथापि, उपर्युक्त अवधि में, पहले ही प्रदान किए जा चुके पंजीकरणों के आधार पर यदि अनुमानित वित्तीय दायित्व अनुमोदित निधि के 115 प्रतिशत तक पहुंच जाता है तो पंजीकरण प्रक्रिया को अस्थायी अथवा स्थायी तौर पर रोका जा सकता है। हालांकि, अनुमोदित निधि की उपलब्धता के आधार पर पंजीकरण प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जा सकता है।
 - 4.1. किसी आवेदक द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर देने से ही वह इस स्कीम के तहत पंजीकरण का पात्र नहीं होगा। आगे का ब्यौरा स्कीम के दिशानिर्देशों में उपलब्ध कराया जाएगा।

- 4.2. किसी भी इकाई को तब तक इस स्कीम के तहत पंजीकरण कराने या लाभों का दावा करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि वह दिशानिर्देशों में निर्धारित किए गए अनुसार पंजीकरण प्राधिकरण से विशेष रूप से अनुमोदित न हो।
- 4.3. पंजीकरण दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो अन्य के साथ-साथ, इकाई की प्रथम दृष्ट्या पात्रता, अनुमोदित निधि की उपलब्धता पर विचार करेगा।
- 4.4. इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने की इच्छुक सभी इकाइयों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा।
5. **पंजीकरण प्रदान करना:** पंजीकरण के लिए सभी आवेदनों का निपटान दिनांक 31.03.2025 तक किया जाएगा, जब तक कि इसे अन्यथा बढ़ाया न जाए।
6. **परिभाषाएं:**
- 6.1. 'अनुमोदित निधि' का तात्पर्य इस स्कीम के प्रत्येक घटक के तहत आबंटित वित्तीय परिव्यय से है।
- 6.2. 'निरपेक्ष बाजार मूल्य' आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत यथा परिभाषित।
- 6.3. 'वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना: इसका तात्पर्य तैयार माल का वाणिज्यिक आधार पर विनिर्माण शुरू करने से है जिसके पूर्व परीक्षण उत्पादन और वाणिज्यिक मात्रा में तैयार उत्पाद के विनिर्माण के लिए पूर्ण संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना तथा विनिर्माण के लिए अपेक्षित कच्चे सामान, उपभोग्य वस्तुओं आदि की उपलब्धता आती है।
- 6.4. 'वाणिज्यिक प्रचालन की शुरुआत: इसका तात्पर्य वाणिज्यिक आधार पर सेवाओं के प्रचालन/सुपुर्दगी शुरू करने से है।
- 6.5. 'मौजूदा इकाई' का तात्पर्य एक इकाई से है जिसने दिनांक 1.4.2021 से पहले वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू किया है तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जीएसटी के तहत पंजीकृत है।
- 6.6. 'तैयार माल' का तात्पर्य औद्योगिक इकाई द्वारा वास्तव में उत्पादित और आपूर्तित सामान से है तथा जिसके लिए यह स्कीम के तहत पंजीकृत है।
- 6.7. 'विनिर्माण इकाई' का तात्पर्य ऐसी इकाई से है जो जो कच्चे माल या निविष्टि को किसी भी तरीके से प्रसंस्कृत करके उसे ऐसे नए उत्पाद में बदलती है जिसका विशेष नाम, स्वरूप तथा इस्तेमाल होता है तथा 'विनिर्माण इकाई' का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।"
- 6.8. 'नई इकाई'
- (क) विनिर्माण क्षेत्र के लिए इसका तात्पर्य इस स्कीम के तहत 1.4.2021 या उसके बाद पंजीकृत इकाई से है, लेकिन जिसका पंजीकरण दिनांक 31.03.2025 के बाद न हुआ हो। ऐसी इकाई को पंजीकरण प्रदान करने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना होगा।
- (ख) सेवा क्षेत्र के लिए इसका तात्पर्य इस स्कीम के तहत 1.4.2021 या उसके बाद पंजीकृत इकाई से है, लेकिन जिसका पंजीकरण दिनांक 31.03.2025 के बाद न हुआ हो। ऐसी इकाई को पंजीकरण प्रदान करने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक प्रचालन उत्पादन शुरू करना होगा।
- (ग) नई इकाई को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- (i) यह पहले से मौजूदा व्यवसाय के विघटन या पुनर्गठन से न बनी हो।
- (ii) यह पहले किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त संयंत्र एवं मशीनरी को नई इकाई को हस्तांतरित करके न बनी हो।
- (iii) यह किसी अन्य जगह से पुनःस्थापित न हुई हो और/अथवा यह मौजूदा इकाई न हो जो नए नाम और रूप में दोबारा खुली हो।

बशर्ते कि दिनांक 1.4.2021 से पहले इस्तेमाल न की गई धरोहर संपत्ति को इसके बाद वाणिज्यिक अथवा वाणिज्यिक आधार पर हॉस्पिटैलिटी अथवा पर्यटन सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने पर, ऐसी पात्रता शर्तों के अनुसार नई इकाई के रूप में विचार किया जाएगा जिनकी बाद में विस्तृत दिशानिर्देशों में व्याख्या की जाएगी।

- 6.9. विनिर्माण इकाइयों के मामले में, 'संयंत्र एवं मशीनरी' में स्थल पर स्थापित औद्योगिक संयंत्र एवं मशीनरी शामिल होगी जिसे खुले बाजार में निरपेक्ष बाजार मूल्य पर नया खरीदा गया हो। इसमें पुनः स्थापित/पुनर्चक्रित/नवीनीकृत संयंत्र एवं मशीनरी शामिल नहीं है।
- 6.10. सेवा क्षेत्र की इकाइयों के मामले में 'भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्ति' में सेवा क्षेत्र की इकाई के लिए नया भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियां शामिल होंगी जहां निरपेक्ष बाजार मूल्य का पालन करके खरीद की गई हो।
- 6.11. 'कच्चे माल' का तात्पर्य किसी इकाई द्वारा उत्पादन या तैयार सामान के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री या पदार्थ से है।
- 6.12. 'सेवा' का तात्पर्य वस्तु, पैसे या प्रतिभूति के अलावा अन्य चीजों से है लेकिन इसमें पैसे के इस्तेमाल से संबंधित क्रियाकलाप अथवा नकद अथवा किसी अन्य तरीके से परिवर्तन, एक प्रकार की मुद्रा या मूल्यवर्ग का दूसरे प्रकार की मुद्रा या मूल्यवर्ग में परिवर्तन शामिल है जिसके लिए अलग प्रभार लिया जाता है।
- 6.13. 'सेवा इकाई' का तात्पर्य 'सेवा' प्रदान करने वाली इकाई से है।
- 6.14. 'पर्याप्त विस्तार' का तात्पर्य मौजूदा इकाई में संयंत्र एवं मशीनरी में पहले से ही किए गए कुल निवेश के न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अतिरिक्त निवेश (विनिर्माण क्षेत्र के लिए), अथवा भवन अथवा अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों के निर्माण (सेवा क्षेत्र के लिए) से है।
अतिरिक्त निवेश के परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता/ सेवा में बढ़ोतरी या विविधता होनी चाहिए तथा यह मौजूदा संयंत्र एवं मशीनरी का प्रतिस्थापन मात्र नहीं होना चाहिए।
- 6.15. 'इकाई' का तात्पर्य सरकार द्वारा विभागीय रूप से संचालित उद्यमों को छोड़कर, किसी औद्योगिक (विनिर्माण) कंपनी अथवा सेवा क्षेत्र के पात्र उद्यम से है, जो वस्तु और सेवा कर के तहत पंजीकृत व्यावसायिक उद्यम है।
- 6.16. 'कार्यशील पूंजी' वर्तमान परिसम्पत्तियों और वर्तमान दायित्वों का अंतर है। यह इकाई के सुचारु और निर्बाध संचालन के लिए अपेक्षित पूंजी है तथा इसका इस्तेमाल दैनिक जरूरतों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है जैसे कच्चा माल खरीदना।
- 6.17. इस स्कीम के प्रयोजन के लिए जोन क और जोन ख का तात्पर्य जम्मू और कश्मीर की सरकार द्वारा यथा परिभाषित और दिशानिर्देशों में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र से होगा।

7. प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्रता:

- 7.1. विनिर्माण के तहत सभी पात्र इकाइयों तथा पात्र सेवा क्षेत्र को इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जैसा कि संबंधित प्रोत्साहन के तहत परिभाषित किया गया है।
- 7.2. यह स्कीम उन इकाइयों पर लागू नहीं होगी जो अनुबंध-I में दी गई निषेध सूची में सूचीबद्ध उत्पादों का विनिर्माण करते हैं।
- 7.3. भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों में न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली सेवा क्षेत्र की इकाइयां इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी। यह स्कीम अनुबंध-II में दी गई सकारात्मक सूची में सूचीबद्ध सेवाओं के लिए लागू होगी जिसे संचालन समिति द्वारा और संशोधित किया जा सकता है।
- 7.4. सभी पात्र इकाइयों को पंजीकरण प्रदान करने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करना होगा।

- 7.5. किसी इकाई द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) तथा भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों के निर्माण (सेवा क्षेत्र के लिए) में दिनांक 1.4.2019 को या उसके बाद किए गए किसी भी निवेश को, इस स्कीम के पूंजी निवेश प्रोत्साहन, पूंजीगत ब्याज सहायता और जीएसटी संबद्ध प्रोत्साहन के तहत पात्रतानुसार निवेश के पात्र मूल्य का निर्णय करते समय ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि, वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तारीख 1.4.2021 या इसके बाद होनी चाहिए। कोई भी प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्रता इस स्कीम के तहत पंजीकरण प्रदान किए जाने के अध्यक्षीन है।
- 7.6. (क) संयंत्र एवं मशीनरी की लागत (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) जो तैयार सामान के विनिर्माण के लिए अनिवार्य है, में भूमि की लागत, उपभोग्य वस्तुएं, निपटान योग्य वस्तुएं अथवा राजस्व वाली कोई अन्य मद शामिल नहीं है।
(ख) सेवा क्षेत्र की इकाई के लिए भवन निर्माण की लागत तथा अन्य भौतिक परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति की लागत शामिल है, जो सेवा क्षेत्र की उस इकाई के संचालन के लिए मूलभूत है, लेकिन इसमें भूमि की लागत, उपभोग्य वस्तुएं, निपटान योग्य वस्तुएं अथवा राजस्व वाली कोई अन्य मद शामिल नहीं है।
- 7.7. भारत सरकार की किसी अन्य स्कीमों के तहत लाभ प्राप्त करने वाली इकाइयां इस स्कीम के तहत समान प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी।
- 7.8. खंड 7.7 के प्रावधानों के अध्यक्षीन, ऐसी इकाइयां पात्रता के अनुसार स्कीम के तहत अन्य प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं। इस बारे में दिशानिर्देशों में विस्तार से उल्लेख किया जाएगा।
- 7.9. इस स्कीम के लाभार्थी को इस स्कीम के निबंधन और शर्तों द्वारा बाध्य होने के बारे में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 7.10. इस स्कीम के तहत पात्रता, संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र में) में निवेश (मुख्य और गौण) तथा भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों (सेवा क्षेत्र में) की निर्माण लागत के सत्यापन के अध्यक्षीन होगी। हालांकि, प्रोत्साहन विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, दोनों के मुख्य वर्गों के लिए पात्र होंगे। इसका विस्तृत ब्यौरा दिशानिर्देशों में निर्धारित किया जाएगा।
- 7.11. प्रोत्साहन प्राप्त करने की अविधः
सभी पात्र इकाइयां संबंधित प्रोत्साहनों में यथा विनिर्दिष्ट अवधि तक इस स्कीम के तहत विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं।

8. नोडल एजेंसी

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी) अथवा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य एजेंसी इस स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत प्रोत्साहनों के संवितरण के लिए नोडल एजेंसी होगी। नोडल एजेंसी पात्र इकाइयों के निर्धारित बैंक खातों में ई-अंतरण के जरिए ही प्रोत्साहन जारी करेगी।

9. शासन और कार्यान्वयन तंत्र

- 9.1 यह स्कीम भारत सरकार यथा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्यान्वित की जाएगी। हालांकि, पंजीकरण प्रक्रिया के साथ-साथ विभिन्न प्रोत्साहन घटकों के तहत दावों पर कार्यवाही का अधिकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को प्रत्यायोजित किया गया है। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
- 9.2 इस स्कीम के संचालन और कार्यान्वयन के लिए गठित समितियां तथा उनकी शक्तियां और कार्य निम्नानुसार हैं:
- 9.2.1 शीर्ष समिति

(क) गठन

- (i) केंद्रीय गृह मंत्री- अध्यक्ष
- (ii) केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री
- (iii) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उप-राज्यपाल

(ख) शक्तियां एवं कार्य

- (i) स्कीम के कुल वित्तीय परिव्यय के भीतर किसी भी संशोधन का निर्णय करेगी जो अन्य समितियों को विशेष रूप से प्रत्यायोजित शक्तियां और कार्यों के तहत न आते हों।
- (ii) किसी भी उत्पाद को निषेध सूची से हटाने का अनुमोदन देना।

9.2.2 संचालन समिति**(क) गठन**

- (i) सचिव, डीपीआईआईटी-अध्यक्ष
- (ii) सचिव/अपर सचिव, गृह मंत्रालय
- (iii) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- (iv) सचिव, एमएसएमई मंत्रालय
- (v) प्रतिनिधि, नीति आयोग
- (vi) अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (एएसएंडएफए), डीपीआईआईटी
- (vii) मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर सरकार
- (viii) जम्मू और कश्मीर स्कीम के प्रभारी संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी (सदस्य सचिव)

(ख) शक्तियां और कार्य

- (i) सुचारु कार्यान्वयन की निगरानी तथा लागू करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करना जिसमें केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय समिति के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत पंजीकरण तथा दावों को स्वीकृत प्रदान करने के लिए प्रत्यायोजन के विभिन्न स्तर शामिल हैं।
- (ii) तारीखों को आगे बढ़ाने सहित पंजीकरण, उत्पादन/प्रचालन की शुरूआत से संबंधित मामलों का निर्णय करना।
- (iii) आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन, निगरानी और आईटी सहायता के प्रस्तावों तथा डीपीआईआईटी के स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई तथा केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन इकाई की स्थापना सहित प्रशासनिक लागत घटक के तहत आकस्मिक व्यय संबंधी निर्णय करना।
- (iv) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की सेवाओं का इस्तेमाल करना और विशेष रूप से जाली व नकली दावों को रोकने के लिए जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयुक्त अधिकारियों जैसे जीएसटी, आयकर के क्षेत्राधिकार मुख्य आयुक्त, केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी के आयुक्त को आवधिक रूप से विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करना।
- (v) स्कीम के दुरुपयोग को रोकने के लिए सत्यापन हेतु स्वतंत्र तृतीय पक्षकार को नियुक्त करके अथवा योग्य कर्मचारियों का पैनल बनाकर क्रमरहित/औचक निरीक्षण करना।
- (vi) केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से परामर्श करते हुए सेवा क्षेत्र के तहत पात्रता संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश जारी करना।
- (vii) ब्लॉक्स के जोन क और जोन ख में वर्गीकरण को संशोधित करना। हालांकि, वर्गीकरण में यह संशोधन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा किए गए ब्लॉकों के वर्गीकरण के अनुरूप होगा।
- (viii) वस्तुओं के लिए निषेध सूची की समीक्षा और इसमें किसी वस्तु को शामिल करना तथा सेवाओं के लिए सकारात्मक सूची में कोई भी बदलाव।

9.2.3 केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय समिति

(क) गठन

- (i) मुख्य सचिव, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर- अध्यक्ष
- (ii) सचिव, वित्त, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर
- (iii) सचिव, उद्योग और वाणिज्य, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर(सदस्य सचिव)
- (iv) संयुक्त सचिव (सं.स.) डीपीआईआईटी (अथवा उनके प्रतिनिधि)
- (v) डीपीआईआईटी के आंतरिक वित्त स्कंध के प्रतिनिधि- सदस्य
- (vi) विचाराधीन परियोजना से संबंधित संगत क्षेत्र के किसी अन्य सदस्य को मुख्य सचिव अथवा सचिव (उद्योग और वाणिज्य), केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर प्रशासन द्वारा विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

(ख) शक्तियां व कार्य

- (i) स्कीम की निगरानी और समग्र कार्यान्वयन तथा पंजीकरण प्रदान करने और स्कीम के तहत दावों पर कार्यवाही और अनुमोदन में पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित करने के लिए उचित जांच व संतुलन स्थापित करना।
- (ii) स्कीम का दुरुपयोग रोकने के लिए समिति उद्योग और वाणिज्य विभाग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के साथ मिलकर उचित जांच व संतुलन का होना सुनिश्चित करेगी।

9.3 इकाइयों को पंजीकरण प्रदान करने, दावों पर कार्यवाही करने तथा उन्हें स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियों को और प्रत्यायोजित करने का ब्यौरा स्कीम के विस्तृत दिशानिर्देशों में निर्धारित किया जाएगा।

10. स्कीम के तहत प्रोत्साहन

पात्रता के अध्यक्षीन, स्कीम के तहत निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं:

- (i) पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीआईआई)
- (ii) पूंजीगत ब्याज सहायता (सीआईएस)
- (iii) वस्तु और सेवा कर संबद्ध प्रोत्साहन (जीएसटीएलआई)
- (iv) कार्यशील पूंजी ब्याज सहायता (डब्ल्यूसीआईएस)

10.1. पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीआईआई):

(क) पात्रता:

- (i) निम्नलिखित इकाइयां इस प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी

I. संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) अथवा भवन और अन्य सभी टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) में अधिकतम 50.00 (पचास) करोड़ रुपए का निवेश करने वाली जोन क और जोन ख, दोनों की नई इकाइयां यह प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

II. संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) अथवा भवन और अन्य सभी टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) में अधिकतम 50.00 (पचास) करोड़ रुपए का निवेश करने वाली जोन क और जोनख, दोनों कीपर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा इकाइयां इस प्रोत्साहन के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी।

- (ii) खंड 6.8 (ग) में परंतुक के अध्यक्षीन, कोई भी इकाई केवल तभी इस प्रोत्साहन के लिए पात्र होगी जब वह नई संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) की संस्थापना अथवा नए भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) का निर्माण करती है, जहां खरीद निरपेक्ष बाजार मूल्य पर की गई हो।

- (iii) सेवा क्षेत्र की इकाई इस प्रोत्साहन के लिए तब पात्र होगी जब वह नए भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों में कम से कम 1.00 करोड़ रुपए का निवेश करती है।
- (ख) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जोन क श्रेणी के ब्लॉक्स में स्थित सभी पात्र इकाइयों को संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) में किए गए निवेश अथवा भवन निर्माण और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों की संस्थापना (सेवा क्षेत्र के लिए) के लिए 30 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश सहायता प्रदान की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 5.00 करोड़ रुपए है।
- (ग) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जोन ख श्रेणी के ब्लॉक्स में स्थित सभी पात्र इकाइयों को संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) में किए गए निवेश अथवा भवन निर्माण और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों की संस्थापना (सेवा क्षेत्र के लिए) के लिए 50 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश सहायता प्रदान की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 7.50 करोड़ रुपए है।
- (घ) एक मौजूदा इकाई पर्याप्त विस्तार करने के लिए स्कीम की वैधता अवधि के दौरान केवल एक बार यह लाभ प्राप्त कर सकती है।
- (ङ) इस स्कीम के तहत पंजीकृत नई इकाई पर्याप्त विस्तार के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी।
- (च) इस प्रोत्साहन को प्राप्त करने के लिए इकाई का भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में, औचित्य सहित केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश पर, संचालन समिति भौतिक सत्यापन की बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों अथवा उचित माने गए अन्य तरीकों पर विचार कर सकती है।
- (छ) पंजीकरण और यह प्रोत्साहन प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया दिशानिर्देशों में निर्धारित की जाएगी।

10.2. पूंजीगत ब्याज सहायता (सीआईएस)

(क) पात्रता:

- (i) नई इकाइयां पात्र संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) और भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) के निर्माण में किए गए निवेश पर लिए गए ऋण के संबंध में इस प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी।
- (ii) पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा इकाइयां भी खंड 10.2(क)(i) के अनुसार इस प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी।
- (iii) पात्र संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के लिए 500 करोड़ रुपए तक की मूल राशि के ऋण पर ब्याज पूंजीगत ब्याज सहायता के लिए पात्र होगा। यदि ऋण की कुल मूल राशि 500 करोड़ रुपए से अधिक है (ऋण समग्र रूप से परिभाषित न कि प्रत्येक किस्त में आहरित राशि के अनुसार) तो 500 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण राशि पर ब्याज पूंजीगत ब्याज सहायता हेतु पात्र नहीं होगा।
- (iv) पूंजीगत ब्याज सहायता संवितरित राशि के लिए पात्र होगी और यह आवधिक ऋण के लिए स्वीकृत मूल राशि के लिए पात्र नहीं होगी।
- (v) एक इकाई इस प्रोत्साहन के लिए तभी पात्र होगी जब वह नई संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) की संस्थापना करती है अथवा नए भवन या अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों का निर्माण (सेवा क्षेत्र के लिए) करती है, जहां खरीद निरपेक्ष बाजार मूल्य के आधार पर की गई हो।
- (vi) नए भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों में न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली सेवा क्षेत्र की इकाई इस प्रोत्साहन के लिए पात्र होगी।
- (ख) सभी पात्र इकाइयां इस स्कीम के तहत पंजीकरण हेतु आवेदन की तारीख के बाद किसी भी तारीख से अधिकतम लगातार 7 वर्षों के लिए 6 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से पूंजीगत ब्याज सहायता प्राप्त कर सकती हैं। हालांकि, इस प्रोत्साहन के तहत पात्र राशि का संवितरण वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

- (ग) भविष्य में यदि ब्याज की वार्षिक दर 8 प्रतिशत से कम हो जाती है, तब भी पात्र इकाई 2 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से न्यूनतम ब्याज राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य होगी। (उदाहरण: भविष्य में, एक बैंक द्वारा किसी पात्र इकाई के लिए वार्षिक ऋण दर घटकर 7 प्रतिशत रह जाती है तो ब्याज सहायता की राशि 5 प्रतिशत तक सीमित रहेगी, तथा वह इकाई 2 प्रतिशत ब्याज वहन करेगी।)
- (घ) यह प्रोत्साहन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकृत वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर लागू होगा।
- (ङ) यह प्रोत्साहन प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया दिशानिर्देशों में निर्धारित की जाएगी।

10.3. वस्तु और सेवा कर संबद्ध प्रोत्साहन (जीएसटीएलआई)

- (क) पात्रता : संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) और भवन तथा अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) के निर्माण के मूल्य को ध्यान में रखे बिना, इस स्कीम के तहत पंजीकृत तथा जीएसटी पंजीकरण वाली सभी नई इकाइयां इस प्रोत्साहन के तहत लाभ के लिए पात्र होंगी।
- (ख) इस घटक के तहत प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) में किए गए निवेश अथवा भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) के निर्माण के पात्र मूल्य का 300 प्रतिशत होगी। विनिर्माण के लिए संयंत्र एवं मशीनरी अथवा सेवा क्षेत्र में भवन और टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों का मूल्य पूंजी निवेश प्रोत्साहन अथवा पूंजीगत ब्याज सहायता, जो भी लागू हो, के तहत निर्धारित पात्र मूल्य के अनुसार होगा।
- (ग) सभी पात्र इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तारीख से 10 वर्षों की अधिकतम अवधि अथवा स्कीम की वैधता तक, जो भी पहले हो, के लिए जीएसटी के सकल भुगतान यथा नकद अथवा इनपुट कर ऋण के जरिए भुगतान किए गए जीएसटी के 100 प्रतिशत के बराबर वस्तु और सेवा कर संबद्ध प्रोत्साहन (जीएसटीएलआई) प्रदान किया जाएगा। हालांकि, निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं पर दिए गए जीएसटी को इस घटक के तहत पात्र प्रोत्साहन राशि के रूप में नहीं गिना जाएगा।
- (घ) एक वित्तीय वर्ष में दी गई प्रोत्साहन राशि इस घटक के तहत पात्र प्रोत्साहन की कुल राशि के दसवें हिस्से से अधिक नहीं होगी जो दावा अवधि के लिए दायर किए गए जीएसटी रिटर्न के अनुसार जीएसटी के पूरे भुगतान के अध्यधीन है।
- (ङ) प्रोत्साहन की मात्रा समान होगी चाहे फिर वह इकाई केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जोन क में स्थित हो अथवा जोन ख में स्थित हो।
- (च) यदि किसी इकाई द्वारा एक वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया कुल जीएसटी पात्र प्रोत्साहन राशि के दसवें हिस्से से अधिक है, तो शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष (वर्षों) में ले जाया जा सकता है। इसके अलावा, इकाई पहले तीन वर्षों में पूरी पात्र प्रोत्साहन राशि का दावा करने में सक्षम नहीं है तो इसे अगले वर्षों में ले जाया जा सकता है। हालांकि, इसे 10 वर्षों की पात्रता अवधि अथवा स्कीम की वैधता अवधि, जो भी पहले हो, से आगे नहीं ले जाया जा सकता।
- (छ) इस प्रोत्साहन के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, इकाई को जीएसटी के लिए नई पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अपेक्षित है। यदि आवेदक की एक अन्य इकाई केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में पंजीकृत है तो मौजूदा जीएसटी संख्या को उस नई इकाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो इस स्कीम के तहत पंजीकृत है। (उदाहरण: यदि मौजूदा इकाई 'क', 'ख' नाम से नई इकाई शुरू करती है तो इकाई 'क' की जीएसटी संख्या जीएसटीएलआई प्राप्त करने के लिए इकाई 'ख' पर लागू नहीं होगी। जीएसटीएलआई प्राप्त करने के लिए इकाई 'ख' को नई जीएसटी संख्या लेना आवश्यक होगा।)
- (ज) यह प्रोत्साहन प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया दिशानिर्देशों में निर्धारित की जाएगी।

10.4. कार्यशील पूंजी ब्याज सहायता (डब्ल्यूसीआईएस)

- (क) पात्रता: इस स्कीम की अधिसूचना की तारीख से पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जीएसटी के तहत पंजीकृत की सभी मौजूदा इकाइयां इस प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगी, जो पंजीकरण तथा दिशानिर्देशों में यथा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन है।
- (ख) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जोन क और जोन ख, दोनों में स्थित इकाइयां इस प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।
- (ग) सभी मौजूदा पात्र इकाइयां इस स्कीम के तहत पंजीकरण प्रदान करने की तारीख से अधिकतम लगातार 5 वर्षों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस स्कीम घटक के तहत लाभ प्राप्त करने वाली मौजूदा इकाइयां पांच वर्ष की अवधि के लिए पात्र होंगी, चाहे वे पर्याप्त विस्तार ही क्यों न कर रही हों।
- (घ) यदि बैंक द्वारा वार्षिक ब्याज दर 6 प्रतिशत से नीचे चली जाती है, तब भी पात्र इकाइयों को न्यूनतम 1 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा (उदाहरण: यदि किसी इकाई के लिए बैंक ब्याज दर 5 प्रतिशत हो जाती है तो ब्याज सहायता 4 प्रतिशत तक सीमित होगी तथा 1 प्रतिशत ब्याज इकाई द्वारा वहन किया जाएगा)।
- (ङ) विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए इस घटक के तहत अधिकतम लाभ 5 वर्षों में 1 करोड़ रुपए है। कार्यशील पूंजी ब्याज सहायता की पात्र राशि की गणना की पद्धति इसके तहत जारी विस्तृत दिशानिर्देशों में निर्धारित की जाएगी।
- (च) यह प्रोत्साहन प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया दिशानिर्देशों में निर्धारित की जाएगी।

11. पंजीकरण हेतु आवेदन, प्रोत्साहन के दावे, अनुमोदन और दावों के संवितरण की प्रक्रिया:

यह अलग से जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों में निर्धारित किए जाएंगे।

12. दावों से संबंधित कार्यवाही/ जांच:

- 12.1. स्कीम के तहत दायर किए गए दावों की डीपीआईआईटी द्वारा नियुक्त मान्यताप्राप्त स्वतंत्र लेखा परीक्षा एजेंसी द्वारा पूर्व-जांच की जाएगी।
- 12.2. जेकेडीएफसी प्रोत्साहनों के संवितरण से पहले 10 प्रतिशत दावोंकी पूर्व-जांच करेगा। डीपीआईआईटी के मुख्य लेखा नियंत्रक भी उच्च मूल्य वाले 20 प्रतिशत दावों (अर्थात् 5.00 करोड़ रुपए या उससे अधिक), प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जारी 1 प्रतिशत कार्यशील पूंजी ब्याज सहायता दावों तथा 5 प्रतिशत अन्य दावों की पश्च लेखापरीक्षा करेगा।
- 12.3. भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के लिए अपने संबंधित अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि में संशोधन करना तथा इन निर्णयों को लागू करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करना अपेक्षित है।

13. केंद्र सरकार/केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सरकार/वित्तीय संस्थाओं के अधिकार:

- 13.1. यदि इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली कोई इकाई वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के भीतर उत्पादन/प्रचालन बंद कर देती है अथवा अपने स्थान में पूरी तरह अथवा इकाई के किसी हिस्से के स्थान में परिवर्तन करती है अथवा अपने कुल स्थिर पूंजी निवेश के बड़े हिस्से का निपटान कर देती है, तो वह इकाई उत्पादन/प्रचालन बंद करने अथवा स्थान में परिवर्तन करने की तारीख से किसी भी प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगी।

इसके अलावा, यदि कोई इकाई वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तारीख से 5 वर्ष के भीतर उत्पादन/प्रचालन बंद कर देती है अथवा अपने स्थान में पूरी तरह अथवा इकाई के किसी हिस्से के स्थान में परिवर्तन करती है अथवा अपने कुल स्थिर पूंजी निवेश के बड़े हिस्से का निपटान कर देती है, तो ऐसी सभी इकाइयां प्राप्त किए गए सभी अनुदान अथवा प्रोत्साहन लौटाने के लिए बाध्य होंगी।

- 13.2. यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी इकाई ने जरूरी तथ्य की गलत व्याख्या करके/छुपाकर, गलत जानकारी देकर प्रोत्साहन प्राप्त किया है तो इकाई को 15 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ समस्त अनुदान अथवा प्रोत्साहन राशि लौटानी होगी तथा वह आपराधिक कार्यवाही के लिए भी जिम्मेदारी होगी।
- 13.3. निविष्टि आपूर्ति को छुपाने अथवा दावों के लिए तृतीय पक्षकार अथवा जम्मू और कश्मीर के बाहर के उत्पादन का सहारा लेने अथवा इसी प्रकार के अन्य गलत तरीकों को अपनाने वाली इकाई आगे के दावों को जब्त करने तथा पहले दिए गए सभी प्रोत्साहनों की 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से वसूली के लिए जिम्मेदार होगी।
- 13.4. प्रोत्साहन (प्रोत्साहनों) को डिजिटल तरीके से जारी किया जाएगा तथा नोडल एजेंसी लाभार्थी इकाई के संबंध में डीबीटी मिशन द्वारा अपेक्षित सारी जानकारी एकत्र करेगी। नोडल एजेंसी इस संबंध में लाभार्थी इकाई के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से हलफनामा सह क्षतिपूर्ति बॉन्ड लेगी।
- 13.5. नोडल एजेंसी अंतिम किस्त/पूरी राशि प्राप्त होने की तारीख से 3 महीनों के भीतर डीपीआईआईटी को संवितरण के संबंध में सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के प्रपत्र 12(ग) में प्रोत्साहन का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी।
14. इकाई द्वारा प्रोत्साहन के भुगतान में देरी पर ब्याज का दावा नहीं किया जा सकता।

राजेन्द्र रत्नू, संयुक्त सचिव

अनुबंध-1

निषेध सूची:

निम्नलिखित उद्योग जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम के तहत लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे:

- (i) केंद्रीय जीएसटी प्रशुल्क अधिनियम, 2017 के अध्याय 24 के तहत आने वाली वस्तुएं जो तंबाकू और तम्बाकू निर्मित वस्तुओं से संबंधित हैं।
- (ii) केंद्रीय जीएसटी प्रशुल्क अधिनियम, 2017 के अध्याय 24 के तहत शामिल पान मसाला।
- (iii) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.705 (अ) दिनांक 02.09.1999 और का.आ. 698 (अ) दिनांक 17.6.2003 और बाद के संशोधनों के द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार 20 माइक्रॉन से कम की प्लास्टिक की थैलियां।
- (iv) केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985(1986 का 5) की प्रथम सूची के अध्याय-27 के अंतर्गत आने वाली पेट्रोलियम अथवा गैस रिफाइनरी द्वारा उत्पादित वस्तुएं
- (v) प्लांटेशन, रिफाइनरी तथा 10 मेगावाट से ज्यादा की विद्युत उत्पादक इकाइयां
- (vi) कोक (केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक सहित), फ्लाई ऐश
- (vii) पर्यावरण मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली अथवा पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अथवा राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) से पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त नहीं करने वाली अथवा संबंधित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना तथा प्रचालन की अपेक्षित सहमति नहीं लेने वाली इकाइयां इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होंगी।
- (viii) वस्तुओं में कम मूल्य वर्धन क्रियाकलाप जैसे भंडारण के दौरान संरक्षण, सफाई, प्रचालन, पैकिंग, रि-पैकिंग अथवा रि-लेबलिंग, छंटनी, खुदरा बिक्री मूल्य का परिवर्तन, उच्च मूल्य पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण को छोड़कर।
- (ix) गोल्ड तथा गोल्ड डोर।
- (x) राब।
- (xi) संगमरमर, ट्रेवर्टिन और ग्रेनाइट।
- (xii) रिवाल्वर और पिस्टल।
- (xiii) सरकार द्वारा जब भी आवश्यक ज्ञ समझा जाए, तब एक अलग अधिसूचना के माध्यम से निषेध-सूची में शामिल किया गया कोई उद्योग/क्रियाकलाप। यह ऐसी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा।

अनुबंध-II

निम्नलिखित सेवाएं जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम के तहत लाभ हेतु पात्र होंगी, जिनका ब्यौरा दिशानिर्देशों में दिया जाएगा:

सेवा क्षेत्र सकारात्मक सूची	
1	पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेवाएं (स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल पर्यटन सहित)
2	फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने वाली सेवाएं (फिल्म सिटी, स्टूडियो सहित)
3	रोप-वे, मनोरंजन पार्क और राइड्स
4	हैरिटेज प्रॉपर्टी रिस्टोरेशन सेवाएं
5	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं
6	आईटी और आईटीईएस सेवाएं
7	रखरखाव और रिपेयर सेवाएं
8	फ्रेट टर्मिनल, लॉजिस्टिक्स पार्क और भंडारण (कोल्ड स्टोरेज सेवाओं सहित)
9	परीक्षण, आरएंडडी, विश्लेषण और प्रमाणन सेवाएं
10	शैक्षणिक और कौशल विकास सेवाएं

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2021

F. No. 1(1)/2020-SSS.—The Government of India is pleased to announce New Central Sector Scheme for Industrial Development of Union Territory of Jammu & Kashmir.

- 1. Scheme Title:** This Scheme will be called New Central Sector Scheme for Industrial Development of Jammu & Kashmir.
- 2. Coverage:** The Scheme will cover the Union Territory of Jammu & Kashmir.
- 3. Commencement and Duration of the Scheme:** It will be effective from 01.04.2021 and will remain in force up to and inclusive of 31.03.2037.
- 4. Application period for registration:** Registration shall commence from 01.04.2021 and will continue till 30.09.2024, subject to the guidelines issued in this regard. Notwithstanding the aforementioned time period, if based upon the registrations already granted, the projected financial liability reaches 115 percent of the Approved Funds, registration process may be paused, either temporarily or permanently. However, registration process may be resumed depending on availability of Approved Funds.
 - 4.1.** Merely submitting application for registration will not entitle any applicant for registration under this scheme. Further details shall be provided in the guidelines of this scheme.
 - 4.2.** No unit will have the right to register under this scheme or claim the benefits unless it is specifically approved by the registering authority as laid out in the guidelines.
 - 4.3.** The registration will be granted by the registering authority as laid out in the guidelines, which will, inter-alia, consider the prima-facie eligibility of the unit, availability of Approved funds.

4.4. All units willing to avail incentive(s) under this scheme have to apply for registration through the online portal.

5. **Grant of registration:** All applications for registration shall be disposed of by 31.03.2025 unless otherwise extended.

6. Definitions:

6.1. **‘Approved Funds’** mean financial outlay allocated under each component of this scheme.

6.2. **‘Arm’s length price’** as defined under the provisions of Income Tax Act, 1961.

6.3. **‘Commencement of Commercial Production:** means starting of manufacturing of finished goods on commercial basis which is preceded by trial production and installation of complete plant and machinery for manufacturing of finished products in commercial quantity and all raw materials, consumables, etc. required for manufacture are available.

6.4. **‘Commencement of Commercial Operation:** means starting of operation/delivering of services on commercial basis.

6.5. **‘Existing Unit’** means a unit which has commenced commercial production/operation prior to 1.4.2021 and is registered under GST in the UT of Jammu & Kashmir.

6.6. **‘Finished Goods’** means the goods actually produced and supplied by an industrial unit and for which it is registered under the Scheme.

6.7. **‘Manufacturing unit’** means a unit which carries out processing of raw material or inputs in any manner that results in emergence of a new product having a distinct name, character and use and the term “manufacturing unit” shall be construed accordingly.”

6.8. ‘New Unit’

(a) For manufacturing sector means a unit registered under this scheme on or after 1.4.2021 but not later than 31.03.2025. Such unit has to commence commercial production within 3 years from the date of grant of registration.

(b) For Service sector means a unit registered under this scheme on or after 1.4.2021 but not later than 31.03.2025. Such unit has to commence commercial operation within 3 years from the date of grant of registration.

(c) A new unit will be required to fulfill the following conditions:

(i) It is not formed by splitting up, or reconstruction of a business already in existence.

(ii) It is not formed by transfer to the new unit of plant or machinery previously used for any other purpose.

(iii) It has not relocated from elsewhere and/or is not an existing unit reopened under a new name and style.

Provided that heritage property not in use before 1.4.2021 is restored thereafter for commercial or hospitality or tourism services on commercial basis will also be considered as new unit as per eligibility conditions to be further elaborated in detailed guidelines.

6.9. **‘Plant and Machinery’** in case of Manufacturing units shall cover industrial plant and machinery as erected at site which are newly purchased from open market at an arm’s length price. It excludes relocated/recycled/refurbished plant and machinery.

6.10. **‘Building and other durable physical assets’** in case of Service sector units shall cover new building and other durable physical assets for a service sector unit where purchases have been made following an Arm’s length pricing

- 6.11. 'Raw material'** means materials or substances used by any unit, in the production or manufacturing of the finished goods.
- 6.12. 'Services'** means anything other than goods, money and securities but includes activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode, from one form, currency or denomination, to another form, currency or denomination for which a separate consideration is charged.
- 6.13. 'Service unit' means a unit providing "services".**
- 6.14. 'Substantial expansion'** means an additional investment of minimum twenty-five percent of the total amount of investment already made in an existing unit in plant and machinery (for manufacturing sector), or construction of building and other durable physical assets (for service sector).
- The additional investment should result in increase of production capacity/enhancement of Services or diversification and should not be a mere replacement of existing plant and machinery.
- 6.15. 'Unit'** means any industrial (manufacturing) entity or eligible service sector enterprise other than those run departmentally by Government, which is a registered business enterprise under Goods & Service Tax.
- 6.16. 'Working Capital'** is difference between Current Assets and Current Liabilities. It is the capital required for the smooth and uninterrupted functioning of the unit and is used to finance its day to day needs, such as buying raw materials.
- 6.17. Zone A and Zone B** for the purposes of this scheme shall mean areas as defined by Government of Jammu & Kashmir and as specified in the guidelines.

7. Eligibility for availing incentives:

- 7.1.** All units eligible under Manufacturing and eligible Service sector will be granted incentive(s) under this scheme as defined under respective incentives.
- 7.2.** The scheme shall not be applicable to the units which manufacture the products listed in the *negative list* at Annexure –I.
- 7.3.** Service sector units with a minimum investment of Rs.1 crore in building and other durable physical assets will be eligible for incentives under this scheme. The scheme shall be applicable only for services listed in *positive list* in Annexure-II which may be modified further by the Steering Committee.
- 7.4.** All eligible units have to commence commercial production/operation within 3 years from the date of grant of registration.
- 7.5.** Any investment made on or after 1.4.2019 by a unit in plant and machinery (for manufacturing sector) or construction of building and other durable physical assets (for service sector) will be taken into consideration to decide the eligible value of investment as per the entitlement under Capital Investment Incentive, Capital Interest subvention and GST Linked Incentive of this scheme. However, the date of commencement of commercial production/ operation has to be on or after 1.4.2021. The eligibility for availing any incentive is subject to grant of registration under the scheme.
- 7.6. (a)** Cost of Plant and Machinery (in manufacturing sector) that is essential for manufacturing of finished goods but excludes cost of land, consumables, disposables or any other item charged to revenue.
- (b)** Cost of construction of Building and procurement of other durable physical assets for the service sector unit that are basic to the running of that particular unit in service sector

but excludes cost of land, consumables, disposables or any other item charged to revenue.

- 7.7. Units availing benefits under other schemes of the Government of India will not be eligible for similar incentives under this Scheme.
- 7.8. Subject to provisions of Clause 7.7, such units can avail other incentive(s) under the Scheme as per eligibility. Details regarding this shall be specified in the guidelines.
- 7.9. The beneficiary of this scheme has to furnish an undertaking to abide by the terms and conditions of the scheme.
- 7.10. Eligibility under this scheme will be subject to verification on investment (Core and Non-Core) in Plant and Machinery (in manufacturing sector) and cost of construction of building and other durable physical assets (in service sector). However, the incentive will be eligible only for core segment in both manufacturing and service sector. Details will be laid down in the guidelines.
- 7.11. Period for availing incentive(s):**

All eligible units can avail specified incentive under this scheme up to a period as specified in the respective incentives.

8. Nodal agency

The Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Ltd. (JKDFC) or any other agency authorized in this regard by Government of India will be the nodal agency for disbursement of incentives under various components of the scheme. Nodal agency will release incentive only through e-transfer to the designated bank accounts of eligible units.

9. Governance and Implementation Mechanism

- 9.1 The scheme will be implemented under the supervision of Government of India i.e. the Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT). However, the registration process as well as processing of claims under different incentive components is delegated to the UT of Jammu & Kashmir. Details will be given in the guidelines for implementation of the scheme.
- 9.2 Committees constituted for governance and implementation of this scheme along with their Power and function are as under:

9.2.1 The Apex Committee

(a) Constitution

- (i) Union Home Minister as Chairperson
- (ii) Union Commerce and Industry Minister
- (iii) Lt. Governor of UT of J&K

(b) Powers and functions

- (i) Decide upon any modification in the scheme within its overall financial outlay which have not been specifically delegated under the power and function of other Committees.
- (ii) Approve any deletion in the negative list

9.2.2 The Steering Committee

(a) Constitution

- (i) Secretary, DPIIT as Chairperson
- (ii) Secretary/ Additional Secretary, Ministry of Home Affairs

- (iii) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change
- (iv) Secretary, Ministry of MSME
- (v) Representative, NITI Aayog
- (vi) Additional Secretary and Financial Advisor (AS&FA), DPIIT
- (vii) Chief Secretary, Government of Jammu & Kashmir
- (viii) Joint Secretary, DPIIT in charge of J&K Schemes (Member Secretary)

(b) Powers and functions

- (i) Monitor the smooth implementation and issue detailed guidelines for execution including the different levels of delegation for registration and sanction of claims under the overall supervision of UT level committee.
- (ii) Decide on matters relating to registration, commencement of production/operation, including extension of the dates.
- (iii) Decide on the proposals for implementation, monitoring and IT support as per needs and contingencies under the administrative cost component including establishing of Project Management Unit at the level of DPIIT and Project Implementation Unit at the UT level.
- (iv) Utilize the services of Central Board of Indirect Tax and Customs (CBIC) and Central Board of Direct Taxes (CBDT) and to periodically invite appropriate officers like jurisdictional Chief Commissioners of GST, Income Tax and Commissioner of UT GST as Special Invitees, for seeking their inputs with particular emphasis on preventing fraudulent or non-genuine claims.
- (v) Get random/surprise inspections done to prevent misuse of the scheme through engagement of an independent third party or empanelment of qualified personnel for verification.
- (vi) Issue detailed guidelines on eligibility under service sector in consultation with the UT administration.
- (vii) Amend the categorization of blocks into Zone A and Zone B. However, this amendment in categorization shall be in alignment with the categorization of Blocks by the UT of Jammu & Kashmir
- (viii) Review and make additions to the negative list for goods and any changes to the positive list for services.

9.2.3 The Union Territory Level Committee

(a) Constitution

- (i) Chief Secretary, UT of Jammu & Kashmir as Chairperson
- (ii) Secretary of Finance, UT of Jammu & Kashmir
- (iii) Secretary of Industry & Commerce, UT of Jammu & Kashmir (Member Secretary)
- (iv) Joint Secretary (JS) DPIIT (or his representative)
- (v) Representative of Internal Finance Wing of DPIIT as member
- (vi) Any other member(s) representing the relevant sectors related to the projects under consideration may be nominated by the Chief Secretary or Secretary (Industry & Commerce) to the administration in UT of J&K as Special Invitees

(b) Powers and functions

- (iii) Monitor the overall implementation of the Scheme and put in place proper checks and balances for ensuring transparency and efficiency in grant of registration, processing and approval of claims under the Scheme.
- (iv) The Committee in coordination with the Department of Industries and Commerce, UT of Jammu and Kashmir shall ensure that proper checks and balances are in place to avoid misuse of the Scheme.

9.3 Details of further delegation of powers for granting registration of units, processing and sanction of claims will be prescribed in the detailed guidelines of the scheme.

10. Incentives under the Scheme

Subject to eligibility, the following incentives are provided under this scheme.

- (i) Capital Investment Incentive (CII).
- (ii) Capital Interest Subvention (CIS).
- (iii) Goods & Services Tax Linked Incentive (GSTLI).
- (iv) Working Capital Interest Subvention (WCIS).

10.1. Capital Investment Incentive(CII):**(a) Eligibility:**

- (i) The following units will be eligible to avail this incentive
 - a. New units with investment of not more than Rs.50.00 (*Fifty*) crore in Plant & Machinery (for manufacturing sector) or Building and all other durable physical assets (for service sector) will be eligible to avail this incentive in both Zone A and Zone B.
 - b. Existing units undertaking substantial expansion with investment of not more than Rs.50.00 (*Fifty*) crore in Plant & Machinery (for manufacturing sector) or Building and all other durable physical assets (for service sector) will be eligible to avail benefit under this incentive in both Zone A and Zone B.
- (ii) Subject to proviso in Clause 6.8(c), a unit will be eligible for this incentive only if it installs new plant and machinery (for manufacturing sector) or constructs new building and other durable physical assets (for service sector), where purchases have been made based on Arm's Length Pricing,.
- (iii) A service sector unit will be eligible for this incentive only if it makes investment of not less than Rs. 1.00 crore in new building and other durable physical assets
- (b) All eligible units located in Zone A category blocks in the UT of Jammu & Kashmir will be provided Capital Investment Incentive @30% of the investment made in plant and machinery (for manufacturing sector), or for construction of building and installation of other durable physical assets (for services sector) with maximum limit of Rs. 5.00 crore.
- (c) All eligible units located in Zone B category blocks in the UT of Jammu & Kashmir will be provided Capital Investment Incentive @50% of the investment made in plant and machinery(for manufacturing), or for construction of building and installation of other durable physical assets (for services sector) with maximum limit of Rs.7.50 crore.
- (d) An existing unit can avail this benefit for substantial expansion only once during the validity period of the scheme.

- (e) A new unit registered under the scheme will not be eligible to avail the benefit under substantial expansion.
- (f) Physical verification of the units is mandatory before availing this incentive. However under special circumstances, on recommendations by UT, with due justification, Steering Committee may consider electronic modes, or any other method as deemed appropriate in lieu of physical verification.
- (g) Detailed procedure for registration and availing this incentive shall be laid down in the guidelines.

10.2. Capital Interest Subvention (CIS)

(a) Eligibility:

- (i) New units will be eligible for this incentive on the loan availed on investment made in eligible plant and machinery (for manufacturing sector), or construction of building and other durable physical assets (for service sector).
 - (ii) Existing units undertaking substantial expansion will also be eligible for the incentive as per clause 10.2(a)(i).
 - (iii) Interest on loan up to the principal amount of Rs. 500 crore for investment in eligible plant and machinery shall be eligible for Capital Interest subvention. If the total principal amount of loan (loan being defined as a whole and not as per draw-down amount in each tranche) is more than Rupees 500 crore, then interest on the loan amount exceeding Rs. 500 crore would **not be** eligible for Capital Interest Subvention.
 - (iv) The Capital Interest Subvention would be eligible on amount disbursed and not on the principal amount sanctioned for the term loan.
 - (v) A unit will be eligible for this incentive only if it installs new plant and machinery (for manufacturing sector) or constructs new building and installs other new durable physical assets (for service sector) where purchases have been made based on Arm's Length Pricing.
 - (vi) A service sector unit with an investment of not less than Rs. 1 crore in new building and other new durable physical assets will be eligible for this incentive.
- (b) All eligible units can avail Capital Interest Subvention at the annual rate of interest of 6% for a maximum of 7 consecutive years from any date after the date of application for registration under this scheme. However, disbursement of eligible amount under this incentive shall begin only after commencement of commercial production.
 - (c) In future, if the annual rate of interest falls below 8%, an eligible unit will still be liable to pay a minimum amount of interest at the annual rate of interest of 2%. (Illustration: In future, in case the annual lending rate by a bank for an eligible unit falls to 7%, the amount of interest subvention will be limited to 5%, and the unit will bear 2% interest burden).
 - (d) This incentive is applicable on the loans availed from a Scheduled Commercial Banks or Financial Institutions registered by Reserve Bank of India.
 - (e) Detailed procedure for availing this incentive shall be laid down in the guidelines.

10.3. Goods & Services Tax Linked Incentive (GSTLI)

- (a) **Eligibility:** New units registered under the scheme irrespective of the value of investment in plant and machinery (for manufacturing sector) and construction of building and other durable physical assets (for service sector) and having a GST registration will be eligible for benefit under this incentive.

- (b) Upper limit of incentive under this component shall be 300% of the eligible value of investment made in plant and machinery (for manufacturing sector) or construction of building and other durable physical assets (for services sector). The value of Plant and Machinery for manufacturing or building and durable physical assets in Services sector units will be as per the eligible value determined under Capital Investment Incentive or Capital Interest Subvention, whichever is applicable.
- (c) All eligible units will be granted Goods & Services Tax Linked Incentive (GSTLI) equal to 100% of Gross payment of GST, i.e. GST paid through cash and input tax credit for a maximum period of 10 years from the date of commencement of commercial production/operation or till the validity of the scheme whichever is earlier. However GST paid on exported goods or services will not be counted towards eligible incentive amount under this component.
- (d) The amount of incentive paid in a financial year will not exceed one-tenth of the total amount of eligible incentive under this component subject to full payment of GST as per GST return filed for the claim period.
- (e) The quantum of incentive will be the same irrespective of the fact whether the unit is located in Zone A or Zone B in the UT of Jammu & Kashmir.
- (f) In case gross GST paid by any unit in a financial year is more than one-tenth of the total amount of eligible incentive, the balance can be carried forward to the subsequent financial year(s). Further, in case the unit is not able to claim full eligible amount of incentives in the first 3 year, the same can be carried forward to subsequent years. However, this will not be carried forward beyond the eligible period of 10 years or beyond the validity of scheme, whichever is earlier.
- (g) In order to avail benefit under this incentive, a unit will be required to have a new registration number for GST. If an applicant has another unit registered within the UT of Jammu & Kashmir, existing GST number shall not be used for the new unit which has been registered under this scheme. (Illustration: If an existing unit 'A' starts another unit with name 'B' then GST number of unit 'A' will not be applicable for availing GSTLI for unit 'B'. A new GST number will be required by unit 'B' to avail GSTLI.)
- (h) Detailed procedure for availing this incentive shall be laid down in the guidelines.

10.4. Working Capital Interest Subvention(WCIS)

- (a) **Eligibility:** All existing units in the UT of Jammu & Kashmir registered under GST prior to the date of notification of this scheme will be eligible for this incentive, subject to the registration and other conditions as detailed in the guidelines.
- (b) Units located both in Zone A and Zone B in the UT of Jammu & Kashmir are eligible for this incentive
- (c) All existing eligible units can avail interest subvention @ 5% on working capital loan for a maximum of 5 consecutive years from the date of grant of registration under this scheme. Existing eligible units availing benefits under this component will be eligible for five years period, even when they are undertaking substantial expansion.
- (d) In case, if the annual rate of interest charged by a bank falls below 6%, a minimum amount @1% per annum of interest will still have to be paid by the eligible units (Illustration: If in future, bank rate of interest for a unit becomes 5%, the interest subvention will be limited to 4% and the unit will bear the burden of 1% interest).
- (e) The maximum benefit under this component for manufacturing as well as service sector units is Rs. 1 crore in 5 years. The methodology for calculation of the eligible amount of working capital interest subvention will be prescribed in the detailed guidelines issued there under.

(f) Detailed procedure for availing this incentive shall be laid down in the guidelines.

11. Process of application for registration, claiming incentives, approval and disbursal of claims:

These shall be prescribed in the detailed guidelines to be issued separately.

12. Processing/ scrutiny of claims:

- 12.1.** Claims filed under the scheme will be pre-scrutinized by recognized independent audit agency to be appointed by DPIIT.
- 12.2.** JKDFC will undertake pre-scrutiny of 10% claims before disbursement of incentives. The Chief Controller of Accounts of DPIIT will also conduct post-audit of 20% of high value claims (i.e. Rs. 5.00 crore and above), 1% of Working Capital Interest Subvention claims released in each financial year and 5% of other claims.
- 12.3.** All concerned Ministries/departments of Government of India are required to amend their respective Acts/Rules/Notification etc. and issue necessary instructions for giving effect to these decisions.

13. Rights of the Central/Union Territory(UT) Government of J&K /Financial Institutions:

- 13.1.** In case any unit availing incentives under this scheme goes out of production/ operation permanently or changes location of the whole or any part of unit or disposes of a substantial part of its total fixed capital investment within 10 years after the date of commencement of production/ operation, then the unit will not be eligible to claim any incentive with effect from the date it goes out of production/ operation or changes its location.

Further, all such units will be liable to refund the entire grant or incentive availed if it goes out of production/ operation permanently or changes location of the whole or any part of unit or disposes of a substantial part of its total fixed capital investment within 5 years after the date of commencement of production/ operation.

- 13.2.** If it is established that a unit has obtained incentive(s) by misrepresenting/suppressing an essential fact, furnishing of false information the unit has to refund the entire grant or incentive availed with interest of 15% per annum and will also be liable for criminal proceedings.
- 13.3.** Concealment of input supplies or routing of third party or non-Jammu & Kashmir production for claims or malpractices of similar kinds will render unit liable for forfeiture of further claims and recovery of all previous incentive(s) paid with interest @15% per annum.
- 13.4.** The incentive(s) will be released through digital payment and Nodal agency will collect all information required by the DBT Mission in respect of beneficiary units. Nodal agency shall take an affidavit cum indemnity bond in this regard from the authorized signatory of the beneficiary unit.
- 13.5.** The Nodal agency shall furnish Certificate of Utilization of the incentive(s) in Form 12(C) of General Financial Rules, 2017 in respect of disbursements to the DPIIT within a period of 3 months from the date of receipt of the last installment/full amount.

- 14.** No interest on account of delay in payment of incentive can be claimed by the unit

RAJENDRA RATNOO, Jt. Secy.

ANNEXURE-I**Negative List:**

The following industries will not be eligible for benefits under New Central Sector Scheme for Industrial Development of Jammu & Kashmir :

- (i) All goods falling under Chapter 24 of the Central GST Tariff Act, 2017 which pertains to tobacco and manufactured tobacco substitutes.
- (ii) Pan Masala as covered under Chapter 24 of the Central GST Tariff Act, 2017.
- (iii) Plastic carry bags of less than 20 micron as specified by Ministry of Environment and Forests Notification No. S.O. 705(E) dated 02.09.1999 and S.O. 698(E) dated 17.6.2003 and any subsequent amendments.
- (iv) Goods falling under Chapter 27 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) produced by Petroleum or Gas refineries.
- (v) Plantation, Refineries and Power generating Units above 10 MW.
- (vi) Coke (including Calcined Petroleum Coke), Fly Ash.
- (vii) Units not complying with environment standards or not having applicable Environmental Clearance from M/o Environment & Forests and Climate Change or State Environmental Impact Assessments Authority (SEIAA) or not having requisite consent to establish and operate from the concerned Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board also will not be eligible for incentive under the scheme.
- (viii) Low value addition activities in goods such as preservation during storage, cleaning, operations, packing, repacking or re-labelling, sorting, alteration of retail sale price etc. take place excluding high value packaging and processing.
- (ix) Gold and gold dore.
- (x) Molasses
- (xi) Marble, Travertine & Granite.
- (xii) Revolvers and pistols.
- (xiii) Any other industry/activity placed in negative list through a separate notification as and when considered necessary by the Government. It will be effective from the date of such notification.

Annexure-II

The following services, details of which will be given in guidelines, will be eligible for benefits under New Central Sector Scheme for Industrial Development of Jammu & Kashmir:

Service Sector Positive List	
1	Tourism & Hospitality Services (including health & wellness tourism)
2	Services promoting Film Tourism (including film cities, studios)
3	Ropeways, Entertainment Parks and Rides
4	Heritage Property Restoration Services

5	Healthcare Services
6	IT & ITeS Services
7	Maintenance and Repair Services
8	Freight Terminals, Logistics Parks & Warehousing (including Cold Store Services)
9	Testing, R&D, Analysis & Certification services
10	Educational & Skill Development Services